न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2020-00064RAAJodhpur2020-34 RTA223 Lrs of Ranchhod Madiyo ors Vs state

रणछोड़ के पुत्र मंगलाराम(फौत) क कायम मुकाम:

01. मडियो देवी पत्नी स्व. रणछोड़
02. कोयली पुत्री स्व. रणछोड़
03. रेखा पुत्री स्व. रणछोड़
04. घनश्याम पुत्र स्व. रणछोड़
05. चुका पुत्री स्व. रणछोड़
06. सोडाराम पुत्र स्व. रणछोड़
07. पप्पुलाल पुत्र स्व. रणछोड़

सभी जातियान् माली, निवासीगण- फलोदी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 फरवरी 2020 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 126/2007 रणछोड़ बनाम सरकार

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 31 अगस्त 2023

31.8.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 126/2007 रणछोड़ बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 फरवरी 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 2 मार्च 2020 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते डिक्री की बाध्यता में छूट बाबत पेश कर डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपि की बाध्यता से छूट प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 15, 88, 89 व 92-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 171 रकबा 365 बीघा 12 बिस्वा ग्राम फलोदी के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2020 को वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि स्व. रणछोड़ का स्वर्गवास दिनांक 19.11.2019 को हुआ था तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो विधिनुसार अन्दर म्याद प्रस्तुत किया गया था, जिसे खारिज करने का कोई आधार पत्रावली पर उत्पन्न नहीं होता है। अपीलार्थीगण प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान् है, जिन्हे विधिनुसार रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के विचारण हेतु नियत था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी में निहित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए बिना किसी आधार पर वाद खारिज किया है जो गलत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। वाद पर साक्ष्य लिया जाकर ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया

31.8.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया है। प्रार्थना पत्र वास्ते डिक्री पर्चा की बाध्यता में छूट पर निवेदन किया कि प्रकरण में विचारण न्यायालय में डिक्री तैयार नहीं की गई है। इस कारण अपीलांट्स डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं कर सके। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं निर्णय के अंतिम पद को डिक्री पर्चा शुमार करते हुए डिक्री पर्चा की बाध्यता से छूट प्रदान की जावे।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 126/2007 रणछोड़ बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 फरवरी 2020 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के नाम से दर्ज है। अपीलांट्स को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कानूनन खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध स्व. रणछोड़ के मृत्यु प्रमाण पत्र के मुताबिक वादी रणछोड़ का देहांत दिनांक 19.11.2019 को हुआ है। अपीलांट पक्ष{स्व. रणछोड़ के विधिक वारिसान्} की ओर से स्व. रणछोड़ की फौतेदगी पर 90 दिन की विहित अवधि के भीतर दिनांक 21.01.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश

31.8.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

22 नियम 3 सीपीसी प्रस्तुत कर स्व. रणछोड़ के विधिक वारिसान् को रिकॉर्ड पर लिये जाने की कार्यवाही किया जाना पाया जाता है।

विचारण न्यायालय में पत्रावली वादी की साक्ष्य में विचाराधीन थी तथा वादी के देहांत पर उनके वारिसान् की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वादी की साक्ष्य पूर्ण की जाकर प्रतिवादी से साक्ष्य ली जाकर तत्पश्चात उभय पक्ष की समुचित सनवाई उपरांत तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किये जाने के बजाय उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए बिना विधिक प्रक्रिया के वाद को ही खारिज किया गया है,जिसे कतई विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण पर अंदर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 126/2007 रणछोड़ बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 फरवरी 2020 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में स्व. रणछोड़ के वारिसान् को रेकर्ड पर लेते हुए उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया का अपनाते हुए प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.8.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर